



432/11

दूरभाष - 2286709  
2286710

नया योजना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 3100/05/76/एक/2015-16  
सेवा में,

दिनांक 05 नवम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-सम्मल।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,  
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50086598202	IFSC Code ALLA0210565	188.189

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सम्मल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 सम्मल	मौ० शाहजीपुरा में ट्यूबवेल से भूरा के मकान तक, रामफल से जगन्नाथ तक, रामेश्वर से मुन्नू तक, अमर सिंह से ओमप्रकाश तक, राधेश्याम से अनिल के प्लाट तक, नानक चन्द्र से अशोक तक, रामप्रकाश से प्रताप तक, हरकेश के प्लाट से मोहन तक, चक्की से ओमप्रकाश तक, राकेश से राजेन्द्र तक, रमेश से ओमप्रकाश तक, डॉ० जगदीश कश्यप से निर्दोष आढती तक, छत्रपाल से मुन्ना तक, मुस्तफा मरिजद से आराकांन तक, मरगूब के प्लाट से खदीजा मरिजद तक, इन्तजार से उरमान तक एवं इरफान शीट वालों से मोवीन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.566
2	सम्मल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 सम्मल	मौ० हयातनगर पूर्वी वार्ड सं० 03 में हरिओम की दुकान के बराबर वाली गली, अजमल की दुकान से महेन्द्र तक, युसूफ से नासिर तक, वावूराम से रामौतार तक, युसूफ खों की दुकान के बराबर वाली गली, अफसर से अफरोज तक, चरन सिंह से रामबाबू तक, छदग्मी लाल से बराबर वाली गली, खेमपाल से लाल खों तक, जबर सिंह से खेमपाल तक, किशनपाल से नन्दकिशोर तक, मास्टर रामप्रसाद से हेतराम तक, धर्मेश से नरदेव तक, अच्छन से छोटे तक, अतर सिंह से गंगासरन तक, अम्बरीश से रामेश्वर तक, सतीश से नरेश तक, गनपत से राजकुमार से होते हुये मन्दिर तक, होरीलाल से नरोत्तम तक, वार्ड नं० 03 में मो हयातनगर (पूर्वी) में हरिओम की दुकान के बराबर वाली गली में कब्रिस्तान से राजीव तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.419



432/2

दूरभाष - 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
3	सम्मल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सम्मल	मौ० बरखेरियान वार्ड सं० 07 में हाजी याकूब से रियाज तक, असलम भाई से महबूब भाई तक, हाजी वारिस से गुलजार तक, हाजी जाबिर से अब्दुल करीम तक, रईस से शमी तक, मुकीम से अकील तक, असलम के कारखाने से मौ० मियों तक, पोल्ट्री फार्म से शफीक एवं इश्तकार तक, हाजी रफीक से शफीक तक, हनीफ भाई से लईक तक, हाजी सलाम से मुस्तफा तक, हनीफ से यूसुफ तक, हनीफ भाई की दुकान से साबिर तक, मौ० अफसर से शफीक मिरत्री तक, शमी के कारखाने के बराबर वाली गली एवं भूरा से फूलवाग वाली मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.809
4	सम्मल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सम्मल	मौ० हयातनगर (पश्चिम) में खानचन्द्र से माजिद के प्लाट तक, इरारार से शमीम तक, रियासत से राशिद तक, सलीम से मौ० तसलीम तक, रमेश से द्यूबेल की गूल तक, चरन सिंह से कृपाल तक, खेमचन्द्र के प्लाट से द्यूबवेल की गूल तक, साबिर से नेतराम तक, पप्पू सैनी की दुकान के बराबर वाली गली, सैनी ट्रांसपोर्ट के बराबर वाली गली सुनील के मकान तक, कर्बला/दादा रहीमउल्ला शाह की ज्यारत से मा० रफत के मकान तक, मैडू खों की मस्जिद से कब्रिस्तान तक, कब्रिस्तान के बराबर से चन्द्रपाल के मकान तक आदि गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	47.319
5	सम्मल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सम्मल	मौ० नवादा वार्ड सं० 30 में कमरुद्दीन से शाहनवाज तक, फिरोज दरोगा से मौ० उमर तक, शमीम की दुकान से अब्दुल मजीद के प्लाट तक, अबरार से मुल्ला रशीद तक, आफताब से पप्पू तक, शमशाद से अब्दुल हमीद तक, हाजी अजीज से मुनव्वर तक, यादराम के मकान से रमेश के मकान तक, शाकिर से जरीना बेगम तक, हाजी अजीज से छोटे तक, छिद्दा से मास्टर सलाम तक, मदरसा इस्लामी के बराबर वाली गली, शमीउल्ला से हाजी अजीज तक, याकूब से मदरसे के पिछले दरवाजे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.348
6	सम्मल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सम्मल	मौ० झज्जरान वार्ड सं० 32 में खालिद के प्लाट से हबीब तक, रईस के मकान से साफरुद्दीन के मकान तक, अकबर अली के मकान से बाबू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.049
7	सम्मल	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० सम्मल	मौ० भूडा वार्ड सं० 33 में आरिफ से रईस तक, अनीस से मुख्तयार तक, खलील से रशीद तक, अबरार के कारखाने के बराबर वाली गली, हाजी यूसूफ से राव वाली मस्जिद तक, वाकिर हुसैन से मौ० असलम तक एवं राव वाली मस्जिद से हाफिज इकराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	18.679
	योग				188.189

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



432/3

दस्तावेज- 2286709  
2286710

नव धेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- उOप्रO सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सीOसीO रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डीOपीOआरO/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि लूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

  
(लाल/प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिO अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लाल/प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक